केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/समन्वय/आईपीएस 2023 परीक्षा/2023 **दिनांक: 26.12.2023**

सेवा में,
सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के
केंद्र अधीक्षक/स्कूल के प्रमुख/मुख्य नोडल पर्यवेक्षक
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: आईपीएस बंद होने के बारे में सूचना और 2023 से परीक्षाओं (मुख्य एवं पूरक) से संबंधित शेष भुगतान को जारी करने के संबंध में

महोदया/महोदय,

2022 परीक्षा के लिए आईपीएस पहले ही बंद हो चुका है। अग्रेतर, 2024 परीक्षाओं के लिए विभिन्न गतिविधियां शीघ्र ही शुरू होंगी और इन गतिविधियों में, शामिल केंद्रों और पदाधिकारियों को भुगतान आईपीएस के माध्यम से किया जाएगा।
अत:, 2023 परीक्षाओं (मुख्य और पूरक दोनों) गतिविधियों के लिए आईपीएस मॉड्यूल को बंद करना अपेक्षित है।

2. अग्रेतर, यह उल्लेख करना प्रसंग से बाहर नहीं होगा कि डेटा जमा न करने/आईपीएस में डेटा फ्रीज नही होने के कारण भुगतान के लिए लंबित कुछ मामलों को छोड़कर 2023 परीक्षाओं (मुख्य और पूरक दोनों) गतिविधियों के लिए अधिकांश भुगतान पहले ही आईपीएस पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है। आईपीएस पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाली 2023 परीक्षाओं (मुख्य और पूरक दोनों) गतिविधियों के लंबित भुगतान (i) केंद्र अंतिम प्रभार (ii) केंद्र परीक्षा पदाधिकारी प्रभार (iii) प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) (स्कूल) प्रभार(iv) प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) (बाह्य परीक्षक) प्रभार और (V) प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) (पर्यवेक्षक) शुल्क से संबंधित हैं। ये भुगतान आईपीएस पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। **अत: हितधारकों को आईपीएस में डेटा जमा करने/डेटा को फ्रीज़ करने (पुन: जमा करने सहित जैसा भी मामला हो) का एक बार अंतिम अवसर दिया जाता है** ताकि इन शेष भुगतानों का प्रसंकरण आईपीएस के माध्यम से पूरा हो सके।

3. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त गतिविधियों के लिए आईपीएस पोर्टल 26 जनवरी, 2024 तक कार्यात्मक रहेगा। इसके बाद, 2023 सीएनएस (मुख्य और पूरक दोनों) प्रभार भुगतान को छोड़कर इन गतिविधियों के लिए आईपीएस पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। यदि ऊपर

उल्लिखित केंद्र प्रभारों और प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) परीक्षाओं से संबंधित कोई भुगतान अंतिम तिथि के बाद भी शेष रह जाता है, तो उसे जब्त किया जा सकता है।

4. इसलिए सभी केंद्र अधीक्षकों/स्कूलों के प्रमुखों/मुख्य नोडल पर्यवेक्षकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि वे आईपीएस में यथा ऊपर उल्लिखित केंद्र प्रभारों और प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियाँ 2023 परीक्षाओं (मुख्य और पूरक दोनों) के भुगतान से संबंधित केंद्रों और पदाधिकारियों (पुनः जमा करने सहित जैसा भी मामला हो,) के डेटा को 26 जनवरी 2024 से पहले तक जमा करें/ फ्रीज कर दें ताकि उनके भुगतान का प्रसंस्करण समय पर किया जाए।

हस्ता/-
(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

सूचना के लिए प्रति:

1. अध्यक्ष, सीबीएसई के कार्यालय के उप सचिव
2. सचिव, सीबीएसई के प्रधान निजी सचिव
3. निदेशक (आईटी), सीबीएसई के प्रधान निजी सचिव
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी
5. आंतरिक लेखाकार एवं वित्त सलाहकार, सीबीएसई
6. वेब-प्रशासक को सीबीएसई वेबसाइट पर इसे अपलोड करने का अनुरोध